न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 32/21 **निर्णय दिनांकः** 20/1/2023
(जीसीएमएस संख्या 2021/145)

1. भारमल पुत्र श्री धन्नाराम जाति विश्नोई निवासी भोजासर हाल–चक 1 बीएलडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. अन्नकोरी पुत्री आशाराम पत्नी पुराराम जाति जाट निवासी रेणा हाल चक 1 बीएलडी तहसील पूगल जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार(राजस्व) पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, पूगल
दिनांक 22.03.2021

उपस्थितः–

1. श्री विजय भादाणी अपीलांट अभिभाषक
2. श्री सत्यपाल सहू, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, पूगल के आदेश दिनांक 22–03–2021 जिसके द्वारा अदालत मातहत द्वारा मनमाने व स्वेच्छाधारी तरीके से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होते हुए भी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् की खातेदारी कृषि भूमि तहसील पूगल के चक 1 बीएलडी के मुरब्बा नंबर 27/32 के किला नंबर 21 ता 25 में तादादी 5 बीघा भूमि पर स्थित है। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के किला नंबर 21 में से किला नंबर 1 ता 20 में आवागमन हेतु रास्ता दिया हुआ है। मुरब्बा नंबर 27/32 के किला नंबर 1 ता 20 पूर्व में एक काश्तकार को आवंटित था जिसका कालान्तर में 5–5 बीघा भूमि का आपसी सहमति से अन्य काश्ताकारों द्वारा बंटवारा कर लिया गया। उक्त काश्तकारों के द्वारा बंटवारे के समय राश्ते के प्रावधान किये बगैर ही अपीलांट की खातेदारी भूमि के किला नंबर 25 मे से एक अन्य रास्ते की मांग अदालत मातहत के समक्ष किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा बिना अपीलांट को सुने ही एकतरफा तौर पर किला नंबर 25 में से नया रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान किये गये हैं। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उसकी आराजी में आवागमन हेतु पूर्व से ही किला नम्बर 21 में से रास्ता उपलब्ध है। अदालत मातहत के समक्ष यह तथ्य उपलब्ध होते हुए भी अपीलांट् के किला नम्बर 25 में से विधि विरूद्व तरीके से रास्ता स्वीकृत किया गया है। धारा 251 ए के तहत रास्ते की मांग तभी की जा सकती है जब किसी काश्तकार के पास पूर्व से उसकी आराजी में आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं हो।

ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही मात्र प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट के कथन मात्र पर विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट् की आराजी में से रास्ता स्वीकृत किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत रास्ते की मांग तभी की जा सकती है जब रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। प्रकरण में चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है, लिहाजा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रस्तुत प्रकरण में आदेश जैर अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, की धारा 251 जिसमें किसी काश्तकार को आत्यांतिक आवश्यकता के आधार पर ही रास्ता दिये जाने के प्रावधान निहित है, की मंशा के विपरीत होने से आदेश जैर अपील खारिज योग्य है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा रास्ते नियमों की धज्जियॉ उड़ाते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार के रिकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया गया है। यदि अदालत मातहत द्वारा तत्समय ऐसा किया जाता तो उनके समक्ष यह स्थिति स्वमेव प्रस्तुत हो जाती की रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में अन्य रास्ता उपलब्ध होने की दशा में धारा 251 'ए' के तहत वैकल्पिक रास्ता या पक्षकार की सुविधा के लिए रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। चूंकि रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है व वास्तव में इस रास्तें की कतई आवश्यकता नहीं है। अब अपीलांट् को मात्र तंग व परेशान करने की नियत से कानून का दुरूपयोग किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट द्वारा केवल मात्र सुविधा के लिए अपीलांट के खेत में से रास्ता स्वीकृत कराया गया है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व में रास्ता कायम है तो नया रास्ता कायम करने के आदेश 251ए आरटीए के तहत पारित नहीं किये जा सकते। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के पैरा ाा में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि जब अन्य खातेदार के खेत में से होकर रास्ता चाहा गया है तो अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की दशा में नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। वास्तव में मौके पर नये रास्ते की कतई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 2022 पार्ट 2 पेज 1327, पेज 1003, आरआरटी 2016–17 स्प. पेज 597 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि चक 1 बीएलडी के मुरब्बा नंबर 27/32 के किला नबर 4 ता 7, 14 ता 17 की 5 बीघा कमाण्ड भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में अदालत मातहत के समक्ष धारा 251 ए आरटीए के तहत रास्ते की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नियमानुसार संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लिखे जाने पर अदालत मातहत द्वारा धारा 69 के प्रावधानों के तहत भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा मौके की रिपोर्ट हुए मौका रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट धारा 69 आरटीए के प्रावधानों के तहत तैयार की गई, तथा रिपोर्ट में भूमि में से रास्ता दिया जाना उचित पाया गया तथा साथ ही यह भी अभिलिखित किया गया है कि प्रार्थी को आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा यह पाये जाने पर कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1/प्रार्थी को रास्ते का आत्यांतिक आवश्यकता व अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की दशा में धारा 251 ए के तहत नया रास्ता मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त मौके की स्थिति, रास्ते की आवश्यकता (absolute necessity & convenient) के आधार पर स्वीकृत किया गया है। रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का यह कथन कि अदालत मातहत द्वारा धारा 251ए आरटीए के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। स्वीकार योग्य कथन नहीं होने से विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत मामलें पर चस्पा नहीं होते है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से उक्त आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज की जावे।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्/अप्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील पूगल के चक 1 बीएलडी के मुरब्बा नंबर 27/32 के किला नंबर 25 मे से आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा किला नंबर 25 में से 02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

प्रकरण में अपीलांट् का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपने खेत में आवागमन हेतु पूर्व में रास्ता उपलब्ध होने पर धारा 251 ए के प्रावधान की पालना नहीं की गई है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को अपनी जोत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रास्ते के आज्ञापक प्रावधानों व मौके व रिकार्ड की स्थिति के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों व वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शे का अवलोकन किया।

प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि में से रास्ता कायम किये जाने से पूर्व भू–अभिलेख निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि किला नम्बर 21 में उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने हेतु रास्ता छोड़ा हुआ है, परन्तु उक्त रास्ते पर आवागमन ऊँचाई होने के कारण नहीं हो रहा है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा भी दौराने बहस कथन किया गया है कि यदि किला नम्बर 21 में से रास्ता कायम किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है एवं उनके द्वारा अपने कथन के समर्थन में किला नम्बर 21 में से आवागमन करते हुए ग्रामीण व्यक्तियों के फोटोग्राफ भी प्रस्तुत किये गये है। अपीलांट् द्वारा यह भी कथन किया गया है कि यदि उक्त रास्ता ऊँचाई पर निहित है तब भी उसे जेसीबी लगाकर नीचे किया जा सकता है।

प्रकरण में चूंकि भू–अभिखेक निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट एवं अपीलांट् द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित है कि अपीलांट् की आराजी के किला नम्बर 21 में से आवागमन हेतु पूर्व से रास्ता कायम है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग रास्ते हेतु संभव है अथवा नहीं? यह अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर जॉच का विषय है। ऐसी स्थिति में पूर्व से कायम रास्ते के होते हुए भी अपीलांट् की आराजी में से अन्य रास्ता कायम करने के आदेश विधि सम्मत प्रतीत नहीं होते है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पूगल का आदेश दिनांक 22–03–2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मौके पर किला नम्बर 21 में उपलब्ध रास्ते की व्यवस्था की जॉच करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 20/11/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

20/11/2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर